FORM III

फर्द अहकाम

(नियम– 26)

अज /अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम गै.मु.रास्ता (आगवाड़ी)

जयपुर–नीमकाथाना स्टेट हाइवे से ग्राम आगवाड़ी तक

मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू.रा.अधि.बाबत रास्ता मु. नं. 115 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/05/2024	पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना से गै.मु.रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुयी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, पाटन के पत्रांक भू.अ. / 2024 / 1593 दिनांक 14.03.2024 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने ग्राम **आगवाड़ी** पटवार मण्डल **आगवाड़ी** तहसील **नीमकाथाना** स्थित भूमि खसरा नम्बर **354, 349, 265 / 2, 269, 234 / 1, 245** में गुजरने वाला रास्ता **आगवाड़ी की मुख्य आबादी को ग्राम पंचायत व अन्य सरकारी कार्यालय तक का** प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है ग्राम रास्ते के फोटो ग्राफ सलंग्न पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं जॉच करने के पश्चात राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, पाटन के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। **तहसीलदार, नीमकाथाना** द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु **तहसीलदार, नीमकाथाना** को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	

नक्शा हिस्सवार

ग्राम - आगावाली

तह - नीमकाथाना

जि - सीकर

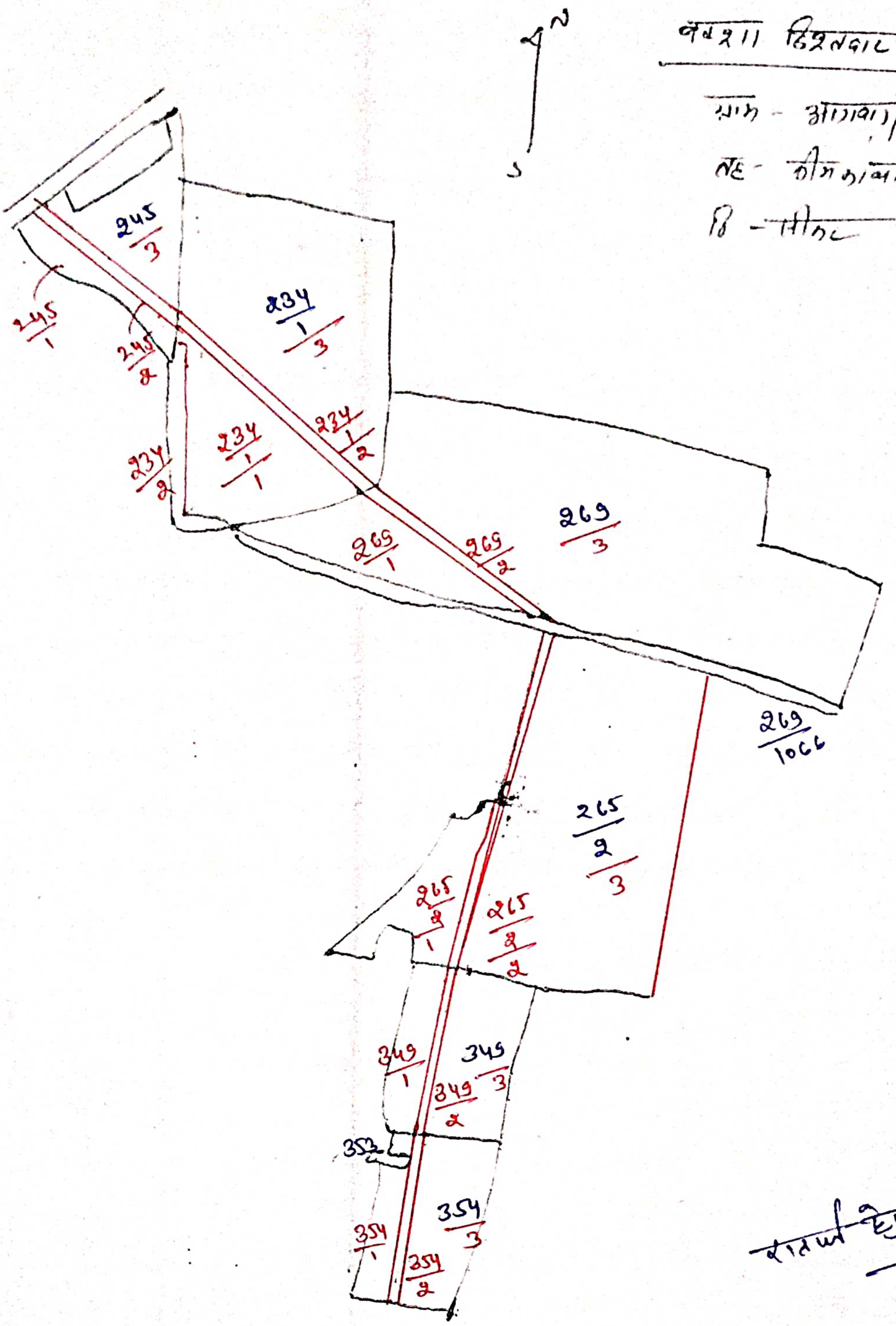

रास्ता हेतु जारी की गई

Kamlesh

पटवारी

प.मु. आगावाली

तहसीलदार

नीम का थाना (राज.)

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम गै.मु.रास्ता (आगवाड़ी)

मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू.रा.अधि.बाबत रास्ता आगवाड़ी मुख्य आबादी से ग्राम पंचायत व अन्य सरकारी कार्यालयों तक मु. नं. 116 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/04/2024	पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना से गै.मु.रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुयी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, पाटन के पत्रांक भू.अ. / 2024 / 1593 दिनांक 14.03.2024 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने ग्राम **आगवाड़ी** पटवार मण्डल **आगवाड़ी** तहसील **नीमकाथाना** स्थित भूमि खसरा नम्बर **1159 / 1157, 360** में गुजरने वाला रास्ता **आगवाड़ी की मुख्य आबादी को ग्राम पंचायत व अन्य सरकारी कार्यालय तक** का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, रास्ते के फोटो ग्राफ सलग्न पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं जॉच करने के पश्चात राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, पाटन के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। **तहसीलदार, नीमकाथाना** द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु **तहसीलदार, नीमकाथाना** को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	

नक्शा हिस्सेवार

ग्राम - आगवाड़ी

तह - नीम का थाना

जि - सीकर

पैमाना - 1cm = 4cm

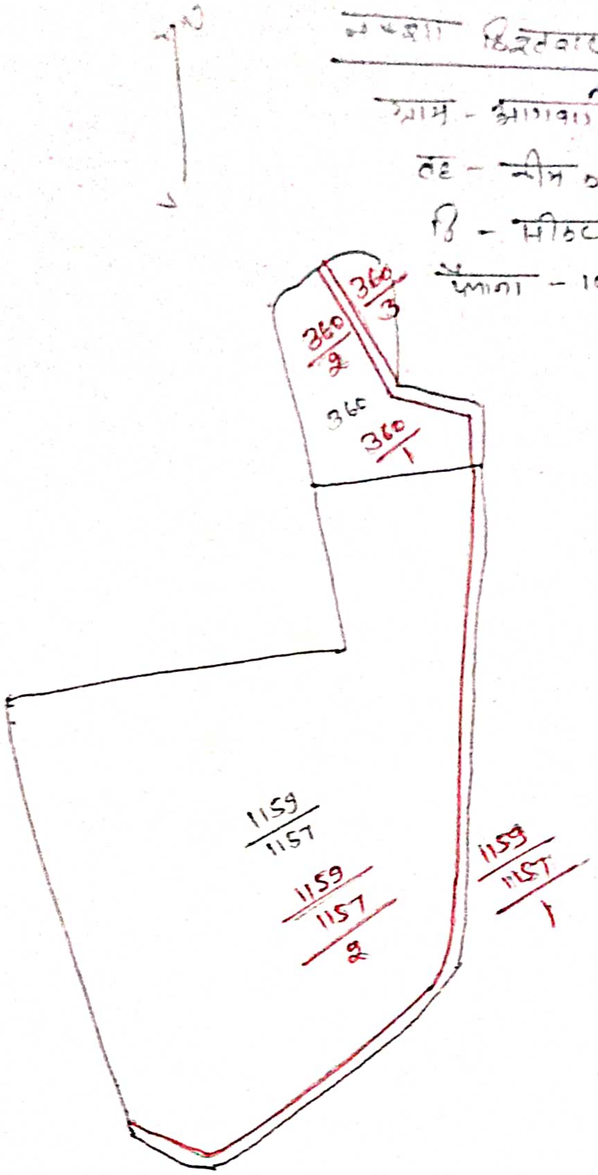

रास्ता हेतु निःशुल्क गली

सरपंच

ग्रा.पं. आगवाड़ी

तहसीलदार
नीन का थाना (राज.)